तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/2/21	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी व अप्रार्थी 2 ता 5 के पिता का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र मनभर है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय इनका नाम एक ही खाते में ओमप्रकाश पुत्र मनभर व उसी खाते में प्रकाश पुत्र मनभर दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हकत्याग विलेख दिनांक 30.12.2013, मार्कशीट, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, प्रमाणं पत्र सरपंच मौखूता की प्रतियां पेश किये।	

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी 2 ता 5 के पिता का नाम ओमप्रकाश पुत्र मनभर एवं प्रकाश पुत्र मनभर अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी व अप्रार्थी 2 ता 5 के पिता का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र मनभर की पुष्टि प्रस्तुत हकत्याग विलेख दिनांक 30.12.2013, मार्कशीट, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र सरपंच मौखूता से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कंवर की नांगल स्थित भूमि खाता संख्या 20 के वर्तमान रा[illegible] में **प्रकाश पुत्र मनभर** के स्थान पर ओम[illegible] मनभर दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड [illegible] दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:08:29 IST
Reason: SelfAttested